उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–2430–ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०–01 / पाकालि / 2024–18–ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि० / 2023 दिनाँक : 21.12.2024

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत दुर्घटनाओं को शून्य करने के मुख्य उद्देश्य से वितरण निगमों / केस्को मुख्यालय पर सम्बन्धित निगम के निदेशक (तकनीकी) के नियंत्रणाधीन एतद्द्वारा विद्युत सुरक्षा प्रकोष्ठ (Electrical Safety Cell) का गठन किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में एक अधीक्षण अभियन्ता अथवा एक अधिशासी अभियन्ता तथा एक कार्यकारी सहायक की तैनाती की जायेगी। प्रकोष्ठ में तैनात अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता विद्युत सुरक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

उक्त प्रकोष्ठ हेतु पृथक से पदों का सृजन नहीं किया जायेगा न ही संविदा के माध्यम से जनशक्ति को योजित किया जायेगा। निगम में उपलब्ध जनशक्ति से कार्मिकों की तैनाती प्रकोष्ठ में की जायेगी।

- **विद्युत सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्य एवं दायित्व :–**

1. विद्युत दुर्घटनाओं का विवरण निर्धारित प्रारूप (Annexure-1) में प्राप्त करना एवं उसके कारणों का विश्लेषण कर दुर्घटनाओं को शून्य किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कराना।
2. उपकेन्द्र पर तैनात कर्मियों हेतु निम्न योजना तैयार कराना / कार्यन्वयन करना :–
   a. प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रशिक्षण माडयूल तैयार करना, प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा हेतु प्रश्नपत्र तैयार करना तथा उसका मूल्यांकन कराना।
   b. प्रशिक्षण मॉड्यूल मुख्यतः निम्न विषयों पर आधारित होगाः–
      i. **कार्मिकों की सुरक्षा से सम्बन्धित** :–प्रशिक्षण मॉड्यूल में कार्मिकों की Personal Protective Equipment के सही उपयोग हेतु आधारभूत जानकारी का समावेश करना। कार्य करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के विषय में अवगत कराना।
      ii. **विद्युत अवस्थापना से जनमानस / पशुधन / फसल की दुर्घटनाओं को शून्य करने से सम्बन्धितः–** Safety measures जैसे Ground clearance, horizontal clearance, live conductor के आपस की न्यूनतम दूरी, परिवर्तकों की fencing, stay में stay loop insulator की स्थापना, वितरण प्रणाली में proper Tripping एवं protection system इत्यादि से सम्बन्धित विषयों को सम्मिलित करना। कार्मिकों को आम जनमानस से सम्बन्धित विषय / विभागीय नियमों से प्रशिक्षित करना जिससे वे आम जनमानस को उन विषयों / नियमों की सामान्य जानकरी प्रदान कर सके जैसे पशुधन को विद्युत खम्भों से / उनके समीप नहीं बाँधना, खम्भे / लाइन के समीप / सटकर कोई निर्माण कार्य नहीं करना इत्यादि।
   c. प्रशिक्षण में mock drill को सम्मिलित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति कराना।
   d. SSO एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु तैनात संविदा कर्मियों को कार्यदायी संस्था के माध्यम से वर्ष में एक बार प्रशिक्षण दिलाने हेतु सम्पूर्ण योजना बनाना तथा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिशा–निर्देश जारी कराना।
   e. विभागीय SSO/Line Staff को विभाग द्वारा वर्ष में एक बार प्रशिक्षण दिलाने हेतु सम्पूर्ण योजना बनाना तथा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिशा–निर्देश जारी कराना।
   f. संविदाकर्मियों को मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न पदों जैसे SSO, कुशल श्रमिक, श्रमिक इत्यादि पर रोल आधारित तैनाती कराना तथा जो पहले से कार्य कर रहे हैं, उनका भी मूल्यांकन के आधार पर पुनः रोल आधारित तैनाती कराना एवं उनका रोल आधारित उत्तरदायित्व निर्धारित कराना।

क्रमश......02

☎ 0522-221-8327/8423 ✉ ds.mpit@uppcl.org

3. उपकेन्द्रों पर विद्युत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
4. उपकेन्द्रों पर कार्मिकों द्वारा विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन एवं विद्युत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की जाँच हेतु औचक निरीक्षण कराना।
5. विद्युत दुर्घटना से प्रभावित कार्मिक, सामान्य जनमानस एवं पशुधन तथा विद्युतीय कारणों से क्षतिग्रस्त फसलों का ससमय भुगतान औद्योगिक सम्बन्ध इकाई के माध्यम से कराना।
6. विद्युत सुरक्षा हेतु New Equipments, New Technologies का अध्ययन करना एवं उनके उपयोग हेतु दिशा–निर्देश जारी करना। आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का आयोजन विभागीय कार्मिकों हेतु मण्डल स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता एवं संविदाकर्मियों हेतु खण्ड स्तर पर कार्यदायी संस्था के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता/उप खण्ड अधिकारी के पर्यवेक्षण में कराना।
7. प्रशिक्षण एवं कार्यशाला (Workshop) आयोजित करने हेतु अन्य अधिकारियों/सेवानिवृत्त अधिकारियों/संस्थाओं/सलाहकारों से समन्वय स्थापित करना।

अध्यक्ष
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

संख्या–2430–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के सादर अवलोकनार्थ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार गठित विद्युत सुरक्षा प्रकोष्ठ में कार्मिकों की तैनाती कराते हुये इसकी सूचना कारपोरेशन मुख्यालय का यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त निदेशकगण, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को, कानपुर।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय–व्ययक)/(निधि–प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. पुस्तकालयाध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनुज सेठ)
उप सचिव (ज0श0 प्र0सु एवं प्रशि0)

(Annexure-1)

विद्युत दुर्घटना रिपोर्ट करने हेतु प्रारूप

1. दुर्घटना की तिथि तथा समय :

2. दुर्घटना स्थल (ग्राम/नगर, तहसील/थाना, जिला और राज्य) :

3. किस विभव पर दुर्घटना घटी
(EHV/HV/LV Line, Sub-station/
consumer's installations/
service lines/other installations.) :

4. अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/
अधिशासी अभियन्ता का नाम अथवा घटनास्थल
का पता जहाँ दुर्घटना घटी है :

5. गृह/भू–स्वामी का नाम जिसके परिसर में दुर्घटना घटी :

6. (क) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण :–

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	लिंग	पत्राचार का पता	अनुमानित आयु	घातक/अघातक
1	2	3	4	5	6	7

(ख) दुर्घटनाग्रस्त पशु का विवरण :–

क्र0 सं0	पशु का वर्णन	संख्या	स्वामी का नाम	स्वामी का पता	घातक/अघातक
1	2	3	4	5	6

7. यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति विभाग का है
क: व्यक्ति का नाम एवं पदनाम :
ख: दुर्घटना के समय उसके द्वारा किये जा रहे कार्य का संक्षिप्त विवरण :
ग: क्या उस व्यक्ति को कार्य करने के लिये अनुमति दी गयी थी :
घ: क्या कार्य करने हेतु अनुमति (Work Permit) ली गयी थी :

8. यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अधिकृत ठेकेदार का है
क: व्यक्ति का नाम एवं पदनाम :
ख: दुर्घटना के समय उसके द्वारा किये जा रहे कार्य का संक्षिप्त विवरण :
ग: उस व्यक्ति का नाम एवं पदनाम जिसने उसको कार्य पर लगाया था :
घ: क्या कार्य करने हेतु अनुमति (Work Permit) ली गयी थी :
च: क्या किये जा रहे कार्य हेतु व्यक्ति सक्षम था : हाँ/नहीं

9. क: दुर्घटना के कारण व्यक्ति के ऊपर हुये प्रभाव का विवरण :
(Fatal/disablement permanent/temporary of any
portion of the body or burns or other injuries)
ख: घातक दुर्घटना की स्थिति में क्या पोस्टमार्टम किया गया :

10. दुर्घटना के कारणों का विस्तृत विवरण (अलग शीट में संलग्न किया जायेगा) :

11. दुर्घटना होने के तुरन्त पश्चात् प्राथमिक उपचार/ चिकित्सा आदि के बारे में की गयी कार्यवाही :

12. क्या जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया है ? (यदि हाँ) तो उसकी प्रति संलग्न करें) :

13. संभव सीमा तक दुर्घना के सम्बन्ध में साक्ष्य के बनाये रखने के लिये उठाये गये कदम :

14. व्यक्ति का नाम जिसकी देख–रेख में कार्य किया जा रहा था :

15. पीड़ित व्यक्ति को कौन–कौन से सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये गये थे :
(e.g. rubber gloves, rubber mats, safety belts and ladders etc)?

16. क्या जिस लाईन/सिस्टम पर कार्य किया जा रहा था उसको आईसोलेट एवं अर्थ किया गया था :

17. दुर्घटना के समय उपस्थित और प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के नाम और पद नाम :

18. कोई अन्य सूचना/टिप्पणी :

स्थान : हस्ताक्षर :

समय : नाम :

दिनांक : पदनाम :

दूरभाष/मोबाइल नं0 :